न्यायालय अतिरिक्त सभागीय आयुक्त कोटा संभाग, कोटा

(निर्णय बईजलास श्री बृजमोहन बैरवा आर0ए0एस0 अति0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 101/2022/अपील/एलआरएक्ट/बूंदी
दायरा दिनांकः 31.3.2022
अन्तर्गत धाराः 75 राज0भू राजस्व अधि0, 1956

उनवान

मंजूर आलम आ0 गुलाम मोहम्मद मुसलमान निवासी करवर हाल नैनवा तहसील नैनवा जिला बूंदी।
...अपीलार्थी

बनाम

1. शैजाद (शहजाद) कपुत्री मोहम्मद जाति लीलगर मुसलमान लुहार निवासी अमीरगंज बाजार, रामकृष्ण मंदिर के सामने टोंक जिला टोंक (राज0)।
2. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार नैनवा जिला बूंदी।

... रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री रामबिलास साहू अभिभाषक –अपीलार्थी
पैरोकार सरकार–रेस्पो0 कम–2

::निर्णय::

दिनांक 8.5.2024

अपीलार्थी ने न्यायालय तहसीलदार भू0अ0 नैनवा जिला बूंदी (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा पत्रावली सं0 3/भू0अ0/रिमाण्ड/2008 बउनवान शैजादी बनाम मंजूर आलम अन्तर्गत धारा 135 (2) राज0 भू राजस्व अधिनियम मे पारित निर्णय दिनांक 23.7.2018 (संक्षेप मे अपीलाधीन निर्णय) के विरूद्ध प्रथम अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

1 अपील के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है, कि श्रीमति शैजादी द्वारा तहसीलदार नैनवा द्वारा प्रकरण सं0 1/2006 मे पारित निर्णय दिनांक 28.1.2008 की अप्रसन्नता से पूर्व मे अपील सं0 43/2008 न्ययालय हाजा मे पेश की गई जिसमे पारित निर्णय दिनांक 23.7.2008 अनुसार अपील आंशिक रूप से स्वीकार कर तहसीलदार नैनवा का निर्णय दिनांक 28.1.2008 अपास्त कर श्री जमाल द्वारा निष्पादित अपंजीकृत वसीयत दिनांक 14.12.88 की जांच पुनः की जाकर पक्षकारो को सुनवाई एंव साक्ष्य प्रस्तुत करने का युक्ति युक्त अवसर प्रदान कर प्रकरण मे पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करने हेतु तहसीलदार नैनवा को रिमांड किया गया। न्यायालय हाजा के उपरोक्त रिमांड आदेश मे दिये गये निर्देशो की पालना मे तहसीलदार नैनवा द्वारा वसीयतनामा दिनांक 14.12.1988 को श्री जमाल द्वारा श्री मंजूर आलम को किया जाना विधि संगत होने व पूर्व निर्णय को पुनः दोहराते हुये कस्बा नैनवा की भूमि खसरा सं0 5413, 5414 पर अंकित अलाबन्दी बेवा जमाल के दर्ज हिस्से 1/5 की भूमि की विरासत मृतका अलाबन्दी के स्थान पर मंजूर आलम आ0 गुलाब मोहम्मद जाति मुसलमान लुहार नि0 करवर हाल नैनवा के नाम राजस्व अभिलेख मे अंकित करने का दिनांक 23.7.2018 को निर्णय पारित किया गया। परीक्षण न्यायालय के उक्त निर्णय से व्यथित होकर मंजूर आलम (अपीलांट) द्वारा अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 के अन्तर्गत न्यायालय हाज इस आशय की प्रस्तुत की गई कि मृतक जमाल व उसकी पत्नी अलाबंदी निःसंतान थे रेस्पो0 सं0 1 उनकी पुत्री नही थी और न ही गोद लिया था। रेस्पो0 सं0 1 मोहम्मद की नायन्दा पुत्री थी। इस संबध मे अधीनस्थ न्यायालय मे शैजादी का निकाहनामा की प्रति पेश की गई जिसमे उसके पिता का नाम शहजाद पुत्री मोहम्मद नि0 नैनवा अंकित है जिसकी ताईद जमाबंदी से भी होती है। शहजाद पुत्री जमाल लिखा हुआ नही है। इस तथ्य को निर्णय मे उल्लेख किया है किन्तु उसका नाम हटाकर उसके स्थान पर 1/5

अति. सं. आयुक्त
कोटा

हिस्से पर अपीलांट का नाम अंकित करने का आदेश न देकर काानूनी भूल की है। उक्त भूमि मृतक जमाल के खातेदारी की भूमि थी। उसने दिनांक 14.12.1988 को अपनी पत्नी अलाबंदी की सहमति से अपीलांट के पक्ष मे वसीयत की थी जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने सही माना है। रेस्पो0 सं0 1 उनकी पुत्री नही होने के कारण वसीयत के आधार पर अपीलांट ही वसीयती उत्तराधिकारी होने के बावजूद भी रेस्पो0 सं0 1 के नाम को विलोपित कर अपीलांट का नाम अंकित करने का आदेश पारित नही किया जबकि अपीलांट ही एक मात्र जमाल व अलाबंदी का वारिस है। मुस्लिम विधि मे गोद को मान्यता नही दी गयी है तथा रेस्पो0 सं0 1 जमाल व अलाबंदी की वारिस नही है और न ही गोद पुत्री है। विवादित भूमि अलाबंदी बेवा जमाल हि0 1/5 तथा शैजाद दु0 जमाल हिस्सा 1/5 जमाल आ0 हाशम की खातेदारी का था तथा शैजाद जमाल की पुत्री या गोद पुत्री नही थी और न ही मुस्लिम विधि से गोद को मान्यता प्रदान की गई है। इस प्रकार शैजाद के नाम पर 1/5 हिस्सा गलत रूप से दर्ज किया गया। जबकि शैजादी के नाम के स्थान पर 1/5 भी अपीलांट अपनी खातेदारी मे दर्ज कराने का विधिक अधिकारी है। उक्त आदेश की जानकारी पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 1.1.2019 को देने हुई तत्पश्चात नकल प्राप्त कर अपील धारा 5 मियाद अधिनियम बावत डिले कन्डोन हेतु पेश किया जाकर अपील को स्वीकार कर विवादित भूमि मे शैजादी का दर्ज 1/5 हिस्से के नाम को विलोप कर अपीलांट का नाम बतौर खातेदार दर्ज करने का आदेश प्रदान करने की इस्तदुआ की गई।

2 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये सम्मन आहूत किया गया। रेस्पो0 क्रम–1 द्वारा नोटिस/तामील लेने से मना करने पर वापस प्राप्त होने उपरांत रेस्पो0 क्रम–1 की तामील पूर्ण मानी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने उपरांत प्रकरण मे बहस अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पो0 क्रम–2 पैरोकार सरकार सुनी गई।

3 विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे उल्लेखित तथ्यों को ही दोहराया तथा कथन किया कि मृतक जमाल व उसकी पत्नी अलाबंदी निःसंतान थे शैजादी उनकी पुत्री नही थी और न ही गोद लिया था। शैजादी, मोहम्मद की जायन्दा पुत्री थी। इस संबध मे अधीनस्थ न्यायालय मे शैजादी का निकाहनामा की प्रति पेश की गई जिसमे उसके पिता का नाम शहजाद पुत्री मोहम्मद नि0 नैनवा अंकित है जिसकी ताईद जमाबंदी से भी होती है। शहजाद पुत्री जमाल लिखा हुआ नही है। इस तथ्य को निर्णय मे उल्लेख किया है किन्तु उसका नाम हटाकर उसके स्थान पर 1/5 हिस्से पर अपीलांट का नाम अंकित करने का आदेश न देकर कानूनी भूल की है। उक्त भूमि मृतक जमाल के खातेदारी की भूमि थी। उसने दिनांक 14.12.1988 को अपनी पत्नी अलाबंदी की सहमति से अपीलांट के पक्ष मे वसीयत की थी जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने सही माना है। वसीयत के आधार पर अपीलांट ही वसीयती उत्तराधिकारी है ऐसी स्थिति मे शैजादी का नाम विलोपित कर अपीलांट का नाम अंकित करने का आदेश पारित किये जाने का आदेश प्रदान किया जावे।

4 पैरोकार सरकार रेस्पो0 क्रम–2 ने अपनी बहस मे निर्णय अधीनस्थ न्यायालय न्यायोचित होना जाहिर करते हुये अपील खारिज करने का अनुरोध किया।

5 अपील पत्रावली का अवलोकन किया। अपी0 द्वारा प्रस्तुत अपील मियाद बाहर है अतः प्रकरण का गुणावगुण पर अवलोकन कर निर्णय किये जाने से पूर्व मियाद के बिन्दू को निर्णित किया जाना न्यायहित मे न्यायोचित है। अपीलांट द्वारा डिले कन्डोन हेतु अपील मे धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश कर डिले सद्भाविक होने से क्षम्य किये जाने का अनुरोध किया। रेस्पो0 पैरोकार सरकार क्रम–2 ने प्रा0 पत्र मे उल्लेखित तथ्यों का खण्डन नही किया है ना ही खण्डन मे कोई प्रतिउत्तर ही पेश किया है ऐसी स्थिति मे प्रा0 पत्र मे वर्णित तथ्यों को अविश्वसनीय माने जाने का पत्रावली मे कोई आधार अभिलेख उपलब्ध नही है। लिहाजा अपील पेश करने मे हुई देरी सद्भाविक होने से क्षम्य की जाकर अपील को अवधि मध्य माना जाता है।

6 हमने पत्रावली का गुणावगुण के आधार पर विचार कर अपील एव अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का आध्योपांत अवलोकन किया तथा बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट एंव पैरोकार सरकार रेस्पो0 क्रम–2 पर

अति. संभा. आयुक्त
कोटा

मनन किया। तहसीलदार नैनवा द्वारा पारित जेरअपील निर्णय 23.7.2018 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वसीयतनामा दिनांक 14.12.1988 को श्री जमाल द्वारा श्री मंजूर आलम को किया जाना विधि संगत होने व पूर्व निर्णय को पुनः दोहराते हुये कस्बा नैनवा की भूमि खसरा सं0 5413, 5414 पर अंकित अलाबन्दी बेवा जमाल के दर्ज हिस्से 1/5 की भूमि की विरासत मृतका अलाबन्दी के स्थान पर मंजूर आलम आ0 गुलाब मोहम्मद जाति मुसलमान लुहार नि0 करवर हाल नैनवा के नाम राजस्व अभिलेख मे अंकित करने का आदेश पारित किया है। प्रश्नगत अपील प्रकरण मे अपीलार्थी का मुख्य तर्क है कि विवेचित भूमि मृतक जमाल के खातेदारी की भूमि थी। उसने दिनांक 14.12.1988 को अपनी पत्नी अलाबंदी की सहमति से अपीलांट के पक्ष मे वसीयत की थी जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने सही माना है। वसीयत के आधार पर अपीलांट ही वसीयती उत्तराधिकारी है ऐसी स्थिति मे शैजाद (शहजाद) का नाम विलोपित कर उसके 1/5 हिस्से पर अपीलांट का नाम अंकित किया जावे। अपीलांट का उक्त तर्क मुताबिक राजस्व रेकार्ड विधिसम्मत नही होने से स्वीकार योग्य नही है। क्योंकि वसीयतनामा दिनांक 14.12.1988 के आधार पर कस्बा नैनवा की भूमि खसरा सं0 5413, 5414 पर अंकित अलाबन्दी बेवा जमाल के दर्ज हिस्से 1/5 की भूमि की विरासत मृतका अलाबन्दी के स्थान पर अपीलांट मंजूर आलम आ0 गुलाब मोहम्मद जाति मुसलमान लुहार नि0 करवर हाल नैनवा के नाम राजस्व अभिलेख मे दर्ज करने का निर्णय पारित किया है ऐसी स्थिति मे राजस्व रिकार्ड मे 1/5 हिस्से पर दर्ज शेजाद (शहजाद) का नाम राजस्व रिकार्ड से विलोपित करने संबधी अपीलांट का तर्क कानूनन आधारहीन एंव विधि विरूद्ध होने से हस्तगत अपील प्रकरण मे अपीलांट कोई विधिक अनुतोष प्राप्त करने का वैधानिक अधिकारी नही है। परिणामस्वरूप उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलांट सारहीन/बलहीन होने अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है।

7 निर्णय आज दिनांक 8.5.2024 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

(बृजमोहन बैरवा)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
कोटा।